

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 4(3)नविवि/II/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक: 13/1 JAN 2022

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2021 द्वारा श्री टीकम चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) का नगर विकास न्यास, अलवर से भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाडी, अलवर में किये गये प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन को निरस्त कर इनका पदस्थापन यथावत (नगर विकास न्यास, अलवर) किये जाने के आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd
(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
4. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाडी, अलवर।
7. श्री टीकम चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता(विद्युत)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

sd
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय